रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062020-219816
CG-DL-E-08062020-219816

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139] नई दिल्ली, सोमवार, जून 8, 2020/ज्येष्ठ 18, 1942
No. 139] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 8, 2020/JYAISTHA 18, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2020

सं. 10/2015–2020

विषयः– गैर स्कोमेट और स्कोमेट मद हेतु निर्यात प्राधिकार पत्र/लाइसेंस के पुनर्वैधीकरण के संबंध में विदेश व्यापार नीति 2015–20 की प्रकिया पुस्तक के पैरा 2.20 (ख) में संशोधन।

फा.सं. 01/77/180/03/एएम–20/ईसी (एस) ई–फाइल 18113.—विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 2.04 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रकिया पुस्तक के पैरा 2.20 (ख) में तत्काल प्रभाव से संशोधन करते हैं:

2. विदेश व्यापार नीति 2015–20 की प्रकिया पुस्तक के पैरा 2.20 के उप–पैरा (ख) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:–

प्रक्रिया पुस्तक का मौजूदा पैरा 2.20 (ख)	प्रक्रिया पुस्तक का संशोधित पैरा 2.20 (ख)
(ख) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा स्कोमेट मदों सहित निर्यात प्राधिकार–पत्र का योग्यता के आधार पर एक बार के लिए छह माह और अधिकतम 12 माह तक की अवधि के लिए पुनर्वैधीकरण प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.16 (ख) के मामलों को छोड़कर किया जा सकता है।	(ख) विदेश व्यापार महानिदेशालय (मुख्यालय) द्वारा स्कोमेट मदों सहित निर्यात प्राधिकार–पत्र को एक बार छह माह की अवधि और अधिकतम 12 माह की अवधि के लिए पुनर्वैधीकरण किया जा सकता है।

3. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः**

विदेश व्यापार नीति 2015–20 की प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.20 (ख) को महानिदेशक विदेश व्यापार (मुख्यालय) की ओर से गैर स्कोमेट और स्कोमेट मदों के निर्यात प्राधिकार–पत्र/लाइसेंस के पुनर्वैधीकरण को अनुमत करने के लिए संशोधित किया गया है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 8th June, 2020

No. 10/2015-2020

Subject :- Amendment in Para 2.20 (b) of Handbook of Procedures (HBP) of Foreign Trade Policy 2015-20 regarding revalidation of Export Authorisation /License for Non-SCOMET and SCOMET item.

F.No. 01/77/180/03/AM20/EC(S)/E-file 18113.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-2020, the Director General of Foreign Trade (DGFT) hereby makes amendments in Paragraph 2.20(b) of Handbook of Procedures (HBP) with immediate effect.

2. Sub-para (b) of Para 2.20 of HBP of FTP 2015-2020 is amended as under:

Existing Para 2.20(b) of HBP	Revised Para 2.20(b) of HBP
(b) Export Authorisation including for SCOMET items may be revalidated, on merits for a period of six months at a time and maximum upto 12 months by the RA concerned, except for cases in para 2.16(b) of HBP.	(b) Export Authorisation, including for SCOMET items, may be revalidated, on merits for a period of six months at a time and maximum upto 12 months by the DGFT(Hqrs).

3. **Effect of this Public Notice**

Paragraph 2.20(b) of HBP of FTP 2015-2020 has been amended to allow revalidation of the Export Authorization / License for Non-SCOMET and SCOMET items from DGFT (Hqrs).

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.06.08 19:51:24 +05'30'